न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 42/2018 अपील

श्री नन्दा उर्फ नन्दराम पुत्र गोकल खटीक निवासी गोविन्दपुरा तहसील आसीन्द

बनाम

1. रामा उर्फ रामलाल पुत्र गंगाराम खटीक निवासी गोविन्दपुरा तहसील आसीन्द
2. श्रीमती बरदी देवी पत्नी मगना खटीक निवासी गोविन्दपुरा तहसील आसीन्द
3. श्रीमती सोसी पुत्री मगना खटीक निवासी दौलतगढ तहसील आसीन्द
4. श्रीमती भाली पुत्री मगना खटीक निवासी नेगडिया रोड आसीन्द
5. श्रीमती अणछी पुत्री मगना खटीक निवासी दौलतगढ आसीन्द
6. श्रीमती मुन्ना पुत्री मगना खटीक निवासी दौलतगढ आसीन्द
7. श्रीमती कंचन पुत्री मगना खटीक निवासी सुराज तहसील बदनोर
8. श्रीमती लाली पुत्री मगना खटीक निवासी दौलतगढ
9. श्रीमती जमना पुत्री मगना खटीक निवासी सुराज
10. श्री डालचन्द पुत्र देवा उर्फ दल्ला खटीक निवासी बदनोर
11. श्रीमती चांदी पुत्री देवा उर्फ दल्ला खटीक निवासी बदनोर
12. श्रीमती छगनी पुत्री देवा उर्फ दल्ला खटीक निवासी बदनोर
13. श्रीमती मूली पुत्री देवा उर्फ दल्ला खटीक निवासी बदनोर
14. श्रीमती लाली पुत्री देवा उर्फ दल्ला खटीक निवासी बदनोर
15. श्रीमती कान्ता पुत्री देवा उर्फ दल्ला खटीक निवासी बदनोर
16. श्रीमती रामू देवी पत्नी देवा उर्फ दल्ला खटीक निवासी बदनोर
17. श्री नाथू लाल पुत्र नानू खटीक निवासी गोविन्दपुरा, आसीन्द
18. रामलाल पुत्र नानू खटीक निवासी गोविन्दपुरा तहसील आसीन्द
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार आसीन्द नामान्तरकरण सं. 707 दिनांक 08.11.1971 अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राज. अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री दूधाराम कुमावत अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रमेशचन्द्र सारस्वत, श्री रामस्वरूप जोशी अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 01 से 18 की ओर से

निर्णय

दिनांक 04.06.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार आसीन्द नामान्तरकरण सं0 707 दिनांक 08.11.1971 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द में खातेदार चुन्नी, मगना, सुवा, भज्जा पिता धन्ना, कजोड पिता चतरा व नाथू पिता दयाराम खटीक के नाम साबिक आराजी नम्बर 1831, 1836/1, 1838,1839,1877,1878/2,1909/11 किता 08 रकबा 49.05 बीघा भूमि जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 में दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। साबिक आराजियात के खातेदार कजोड़ व नाथू फोत हो जाने पर विरासत का नामान्तकरण सं. 707 दिनांक 08.11.1971 को जो खोला गया, उसमें पटवार हल्का द्वारा अपनी टिप्पणी में यह अंकित किया कि " कजोड व नाथू फोत हो चुके है, जिसको 2–3 साल हो चुके है। कजोड के 6 लडके व नाथू के 2 लडके गोकल व गंगाराम थे, मगर दोनों ही फोत हो चुके है।" जबकि वास्तविकता यह है कि नाथू के 2 लड़के भूरा व गोकल थे व गोकल के वारिस अपीलार्थी है। भूरा लाऔलाद फोत हो गया था। भूरा ने अपने जीवन काल में किसी को भी गोद नही रखा था। फिर भी पटवार हल्का द्वारा बिना किसी आधार व दस्तावेज के भूरा के गंगााम को गोद बताकर यह विवादित नामान्तरकरण खोला गया जो निरस्तीकरण योग्य है। पटवार हल्का द्वारा बिना किसी दस्तावेज व आधार के भूरा के गंगाराम जो कि सूरजमल का लड़का है, को गोद बताकर तथाकथित नामान्तरकरण खोला गया है तथा गंगाराम की मृत्यु होना बताकर सीधी ही रामा, रामप्रसाद अंकित किया है। विरासत से प्रत्यर्थी सं. 01 रामा उर्फ रामलाल का नाम दर्ज हुआ है जो कि गलत व अवैध होने से नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है। पटवार हल्का ने विरासत मे भूरा के गलत गोदपुत्र गंगाराम को ही नही बताया बल्कि अपनी मर्जी से मगना, नानू, देवा पिता मोटा का नाम भी अंकित कर दिया है जो कि कौनसे खातेदार के उक्त व्यक्ति विधिक वारिसान है तथा किस आधार से उक्त नाम और अंकित जो नामान्तरकरण में कहीं अंकन नही है। मगना, नानू, देवा उर्फ दल्ला फोत हो जाने से उनके वारिस प्रत्यर्थी सं. 02 लगायत 18 है। इस प्रकार उक्त अवैध नाम पटवार हल्का द्वारा जोड दिये जाने से उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्व एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थी को उक्त नामान्तकरण की जानकारी 15.01.2018 को होने पर एवं दिनांक 25.01.2018 को नकल प्राप्त होने पर हुयी। अपील अन्दर जानकारी अविलम्ब पेश की गयी है। फिर भी निर्णय दिनांक 08.11.1971 से हुयी देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाने हेतु अलग से धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 707 दिनांक 08.11.1971 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी के पिता की वारिसान आराजियात में प्रत्यर्थीगण का नाम हटवाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 06.03.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द में खातेदार चुन्नी, मगना, सुवा, भज्जा पिता धन्ना, कजोड पिता चतरा व नाथू पिता दयाराम खटीक के नाम साबिक आराजी नम्बर 1831, 1836/1,

1838,1839,1877,1878/2,1909/11 किता 08 रकबा 49.05 बीघा भूमि जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 में दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। साबिक आराजियात के खातेदार कजोड़ व नाथू फोत हो जाने पर विरासत का नामान्तकरण सं. 707 दिनांक 08.11.1971 को जो खोला गया, उसमें पटवार हल्का द्वारा अपनी टिप्पणी में यह अंकित किया कि " कजोड व नाथू फोत हो चुके है, जिसको 2–3 साल हो चुके है। कजोड के 6 लडके व नाथू के 2 लडके गोकल व गंगाराम थे, मगर दोनों ही फोत हो चुके है।" जबकि वास्तविकता यह है कि नाथू के 2 लड़के भूरा व गोकल थे व गोकल के वारिस अपीलार्थी है। भूरा लाऔलाद फोत हो गया था। भूरा ने अपने जीवन काल में किसी को भी गोद नही रखा था। फिर भी पटवार हल्का द्वारा बिना किसी आधार व दस्तावेज के भूरा के गंगाराम को गोद बताकर यह विवादित नामान्तरकरण खोला गया जो निरस्तीकरण योग्य है। पटवार हल्का द्वारा बिना किसी दस्तावेज व आधार के भूरा के गंगाराम जो कि सूरजमल का लड़का है, को गोद बताकर तथाकथित नामान्तरकरण खोला गया है तथा गंगाराम की मृत्यु होना बताकर सीधी ही रामा, रामप्रसाद अंकित किया है। विरासत से प्रत्यर्थी सं. 01 रामा उर्फ रामलाल का नाम दर्ज हुआ है जो कि गलत व अवैध होने से नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 707 दिनांक 08.11.1971 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी के पिता की वारिसान आराजियात में प्रत्यर्थीगण का नाम हटवाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी ने कि ग्राम आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द में खातेदार चुन्नी, मगना, सुवा, भज्जा पिता धन्ना, कजोड पिता चतरा व नाथू पिता दयाराम- खटीक के नाम साबिक आराजी नम्बर 1831, 1836/1, 1838,1839,1877,1878/2,1909/11 किता 08 रकबा 49.05 बीघा भूमि जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 में खातेदार गलत अंकित किये है। अपीलार्थी ने खातेदार कजोड व नाथू का पारिवारिक सजरा प्रस्तुत नही किया है। जमाबंदी वर्ष 2009 से 2012 में उक्त कृषि आराजियात भूरा, चुना, सुवा, बिजे लाल पिता धन्ना 1/3, धुला, कजोड, चतरा, नाथू पिता दयाराम खटीक सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड थे, जिसमें रेस्पोडेण्ट सं. 02 लगायत 18 के पूर्वाधिकारी खातेदार धुला के मोटा की धुला के जीवनकाल में ही मृत्यु हो गयी। इस कारण राजस्व रिकार्ड में मोटा की मृत्यु के पश्चात् उसके विधिक उत्तराधिकारी मगना, नानू एवं देवा का धुला की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण सं. 707 के जरिये राजस्व रिकार्ड में धुला के वारिस के रूप में अंकन किया गया जो पटवार हल्का आसीन्द की रिपोर्ट मुताबिक सही अंकन किया गया है। उक्त अपील विवादित नामान्तरकरण की दिनांक से करीब 47 वर्ष पश्चात् पेश किया गया है जो कानूनन मियाद बाहर होने से अपीलार्थी की अपील निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी ने वादग्रस्त कृषि आराजियात के सह खातेदारान को अपील में पक्षकार के रूप में संयाजित नही किया है, जिनके हक अधिकारी प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। अपीलार्थी द्वारा अपनी के समर्थन में उसका पारिवारिक सजरा प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त कृषि आराजियात के संबंध में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। उक्त तथ्य को छुपाते हुये यह अपील प्रस्तुत की है। इस आधार पर यह अपील निरस्त होने योग्य है। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र

पेश किया है। अपीलार्थी ने दफा 5 के प्रार्थना पत्र में 47 वर्ष विलम्ब के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नही किये है। जिससे दफा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब क्षम्य योग्य नहीं है।

न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तथ्यों का भलीभांति परीक्षण किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम आसीन्द के नामान्तरकरण सं. 707 में कजोड़ पिता चतरा के फोत होने पर विरासत से नंदा, गोमा, भूरा, नगजी, कालू, मूला पिता कजोड के नाम एवं नाथू पिता दयाराम के फोत होने पर विरासत से सजरा अनुसार भूरा, गोकल, अंकित करते हुये गंगाराम को भूरा का गोदपुत्र एवं नंदा को गोकल का गोदपुत्र अंकित किया जाकर गंगाराम के फोत होने पर रामा रामप्रसाद पिता गंगाराम एवं गोकल के फोत होने पर नन्दा पिता गोकल अंकित किया है। धुला पिता दयाराम की मृत्यु होने के पश्चात् मगना, नानू , दल्ला पिता मोटा खटीक का नाम नामान्तरकरण सं. 707 में अंकित किया गया है। मोटा को धूला का पुत्र होना एवं धूला के जीवनकाल में ही मोटा की मृत्यु हो जाने से धूला की विरासत में नाम दर्ज किया जाना रेस्पोडेण्ट ने अपने जवाब में अंकित किया है।

इस प्रकार नामान्तरकरण सं. 707 में विरासत कार्यवाही पारिवारिक सजरा अंकित करते हुये बाद् जांच पटवारी हल्का आसीन्द ने नामान्तरकरण सं. 707 दिनांक 20.05. 2017 को दायर किया जिसे तहसीलदार आसीन्द ने दिनांक 08.11.1971 को विरासत के संबंध में जांच कर स्वीकृत किया हैं। इस नामान्तरकरण में पारिवारिक सजरा में गंगाराम के भूरा पिता नाथू के गोद जाने एवं गंगाराम की मृत्यु पर रामा, रामाप्रसाद का नाम विरासत से दर्ज करने एवं नन्दा के गोकल पिता नाथू के गोद जाने के संबंध में बिना गोदनामे दस्तावेज के विरासत अंकित करने के संबंध में अपीलार्थी ने आक्षेप करते हुये अपील 47 वर्ष लम्बी अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की गयी हैं जो काफी विलम्ब से है। अपीलार्थी ने दफा 5 के प्रार्थना पत्र में भी 47 वर्ष विलम्ब के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नही किये है। गोदनामे पर आक्षेप के संबंध में अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिये। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत सिद्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ भेजा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा